

# झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग

चाय बगान, कालीनगर, नामकोम, राँची-834010.

## झारखण्ड संयुक्त पुलिस अवर निरीक्षक प्रतियोगिता परीक्षा-2017

### आवश्यक सूचना

### प्रमाण पत्रों की जाँच का कार्यक्रम

दिनांक-07.06.2018

झारखण्ड संयुक्त पुलिस अवर निरीक्षक प्रतियोगिता परीक्षा-2017 के अंतर्गत रिम्स, राँची में अपीलीय चिकित्सीय परीक्षा, रिम्स द्वारा चिकित्सीय जाँच में सफल घोषित किये जाने के फलस्वरूप संबंधित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की प्रारंभिक जाँच झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग, कालीनगर, चायबगान, नामकोम, राँची में दिनांक-12.06.2018 को आयोजित किया जायेगा।

2. अभ्यर्थी जाँच हेतु उपर्युक्त परीक्षा (मुख्य) का मूल प्रवेश पत्र (Admit Card) तथा निम्नलिखित प्रमाण पत्रों की मूलप्रति, एक-एक स्व-हस्ताक्षरित छाया प्रति के साथ तथा हाल में खींचा गया दो पासपोर्ट आकार का रंगीन फोटो लेकर उपस्थित होंगे। जो अभ्यर्थी प्रमाण पत्रों की जाँच में उपस्थित नहीं होंगे अथवा वांछित प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करेंगे उन्हें अलग से समय नहीं दिया जायेगा तथा उनकी उम्मीदवारी समाप्त करने पर आयोग निर्णय ले सकता है। जाँच हेतु वांछित प्रमाण पत्रों की सूची नीचे अंकित है :-

I. मैट्रिक उत्तीर्णता प्रमाण पत्र (मूल प्रति)।

II. स्नातक उत्तीर्णता प्रमाण पत्र एवं अंक प्रमाण-पत्र (मूल प्रति)।

III. आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के लिए:-

क) झारखण्ड राज्य के स्थानीय निवासियों को झारखण्ड राज्य का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र (प्रासंगिक परीक्षा) की विवरणिका के परिशिष्ट-III के प्रपत्र में।

ख) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के संदर्भ में जाति प्रमाण पत्र प्रासंगिक परीक्षा की विवरणिका के परिशिष्ट-I के प्रपत्र में।

ग) अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-1) तथा पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-2) के लिए विवरणिका के परिशिष्ट-II के प्रपत्र में जाति प्रमाण पत्र, जिसमें क्रिमी लेयर का स्पष्ट उल्लेख हो।

घ) जाति प्रमाण पत्र एवं स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र जिला के उपायुक्त अथवा अनुमण्डल पदाधिकारी के स्तर से निर्गत होना चाहिए।

ङ) वही जाति प्रमाण एवं स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र स्वीकार्य होगा जिसकी संख्या, निर्गम तिथि तथा निर्गम प्राधिकार की प्रविष्टि ऑन लाईन आवेदन पत्र में की गई है। आवेदन में दर्ज प्रमाण पत्र से भिन्न जाति का प्रमाण पत्र एवं स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र स्वीकार्य नहीं होगा। ऑन लाईन आवेदन पत्र में जिस आरक्षण कोटि का दावा किया गया है उसी आरक्षण कोटि का जाति प्रमाण पत्र मान्य होगा।

IV. प्रमाण पत्र जाँच कार्यक्रम में उपस्थित अभ्यर्थियों का बायोमैट्रिक मिलान किया जायेगा।

### प्रमाण पत्रों का जाँच कार्यक्रम

दिनांक-12.06.2018

पाली-प्रथम

समय-10:30 से 1:00

17131701514, 18132106377, 19131407653, 20121711119. (कुल-04)

ह./-  
परीक्षा नियंत्रक।